राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

मोक्ष कलश योजना-2020

1. योजना का नाम:- मोक्ष कलश योजना-2020, देवस्थान विभाग।

2. योजना का उद्देश्य व संक्षिप्त विवरण:- वर्तमान में कोविड़-19 महामारी के अन्तर्गत परिवहन संसाधनों का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है और इसके पूर्ववत संचालन होने में समय लगने की सम्भावना है। ऐसी परिस्थितियों में मृत व्यक्ति की अस्थियों के यथा समय गंगाजी में विसर्जन हो सके, इस हेतु उसके परिवार के अधिकतम दो सदस्यों को एक अस्थि कलश के साथ हरिद्वार जाने-आने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के माध्यम से कराई जानी है।

3. योजना की क्रियान्वयक एजेन्सी:- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम होगी। जिसका यात्रियों का पंजीकरण, यात्रियों को गंतव्य स्थल तक लाने-ले जाने की व्यवस्था संबंधी कार्यों का दायित्व होगा।

4. देवस्थान विभाग योजना का वित्त पोषक विभाग होगा, जिसमें राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा योजना के अन्तर्गत किए गए समस्त व्ययों का पुनर्भरण देवस्थान विभाग द्वारा किया जायेगा।

5. दिशा-निर्देश:-

   (I) योजना की पात्रताः-इस योजना में आयकरदाता एवं सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति लाभान्वित हो सकेंगे।

   (II) यात्रियों का पंजीकरणः- राजस्थान राज्य पथ परिहन निगम की वैब साइट **www.rsrtc.rajasthan.gov.in** और **www.rsrtconline.rajasthan.gov.in** पर ऑन लाईन पंजीकरण किया जाएगा।

   (III) मोक्ष कलश यात्रा निःशुल्क होगी। योजना में एक अस्थि कलश के साथ मृतक परिवार के अधिकतम 2 व्यक्ति अनुमत होंगे। पंजीयन के समय मृत व्यक्ति का पूर्ण विवरण मृत्यु

दिनांक, यात्रा हेतु परिवार के सदस्यों के नाम. उम्र, लिंग, आधार/जनाधार कार्ड, मोबाईल नम्बर की आवश्यक जानकारी दी जानी अनिवार्य होगी तथा इनसे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां अपने साथ रखनी होगी।

(IV) यात्रियों के आने-जाने की बुकिंग एक साथ ही होगी एवं उसी वाहन से वापस आना अनिवार्य होगा एवं हरिद्वार में किसी भी परिस्थिति में रूकने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रार्थना पर विचार नही किया जायेगा। पंजीकृत यात्रियों को उनके मोबाईल नम्बर पर यात्रा हेतु सूचित कर आमंत्रित किया जायेगा।

(V) योजना अन्तर्गत बसों का संचालन जिला/डिपों मुख्यालयों से किया जायेगा। यात्रियों की सुविधा अनुसार बस स्टेण्ड स्थानों का निर्धारण राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा किया जायेगा।

(VI) सभी यात्रियों को मास्क पहन कर यात्रा करना अनिवार्य होगा। मास्क नहीं होने पर बस स्टेण्ड/बस के अन्दर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यात्रियों को यात्रा से पूर्व अच्छे से हैण्डवॉश करने होंगे तथा यात्रा के दौरान स्वयं का हैण्ड सेनिटाईजर का प्रयोग करना होगा।

(VII) वाहन में कोई भी यात्री पान, गुटका बीडी एवं सिगरेट का उपयोग नहीं करेगा तथा ना ही थूकेगा। यात्रियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।

(VIII) हरिद्वार में अस्थि विजर्सन एवं पूजा-पाठ के कार्य के लिए स्वयं आवेदक की जिम्मेदारी होगी।

(IX) एक बस में सोश्यल डिस्टेसिंग का ध्यान रखते हुए अधिकतम 23 अस्थि कलश के साथ 46 यात्री जा सकेंगे।

(X) यदि यात्रा के दिन इस संबंध में केन्द्र सरकार/किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संक्रमण अथवा अन्य कोई विपरीत परिस्थिति की वजह से यदि कोई अन्यथा निर्णय हो जाता है तो, राज्य सरकार/परिवहन निगम की जिम्मेदारी नहीं होगी।